राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 251 / 2023

निर्णय दिनांक :

किशोर सिंह बनाम भागोती वगै0

1. किशोर सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी वाणी मझाउ तन सिंगनौर तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्नू (राज.)

–आवेदक

बनाम

1. भागोती देवी पत्नी बीरबल
2. सुनिल कुमार पुत्र बीरबल
3. राजेश कुमार पुत्र रामदेवा
4. विकास कुमार पुत्र टामदेवा

जाति समस्त जाट निवासीगण ढाणी मझाउ तन ग्राम सिंगनौर तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू (राज.)

5. दड़की देवी पत्नी स्व. सुरजाराम
6. भंवर सिंह पुत्र सुरजाराम

जाति समस्त जाट निवासीगण धाबड़ा की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू (राज.)

7. मनोहरी पुत्री सुरजाराम पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 5 कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी हाल जिला नीमकाथाना (राज.)
8. रामकुमार पुत्र सुरुजाराम जाति जाट निवासी पाबड़ा की ढाणी तन सिंगनौर तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू (राज.)
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये मैनेजर शाखा सिंगनौर तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू (राज)
10. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज)
11. तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी हाल गुढागौड़जी
12. कैलाश कंवर पाली रघुनाथ सिंह
13. धीरेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह
14. योगेन्द्र पुत्र रघुनाथ सिंह
15. नत्थुसिंह पुत्र मंगेज सिंह

जाति समस्त राजपुत निवासीगण मझाउ तहसील गुढ़ागौड़ी जिला झुन्झुनू (राज)

16. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नवलगड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज)

अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आशय का पेश किया गया कि ग्राम मझाउ पटवार हल्का सिंगनौर की सरहद में हाल खसरा नम्बर 166 रकबा 1.17 हेक्टर भूमि स्थित है। जिसके खातेदार आवेदक व अनावेदक नम्बर 5 लगायत 8 है लेकिन उपरोक्त भूमि भाई बंट में आवेदक के हिस्से में आयी हुई है। आवेदक ने उक्त भूमि में मय पुख्ता मकान बनाकर बसा हुआ है तथा उक्त मकानों में बिजली का कनेक्शन ले रखा है तथा चाह का निर्माण कर रखा है। उस पर जनरेटर लगा रखा है उससे अपनी खातेदारी भूमि को काश्तकार अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रखा है। आवेदक की कब्जा काश्त खातेदारी भूमि के दक्षिण में खसरा नम्बर 177 रकबा 143 हैक्टर स्थित है जो अनावेदक नम्बर 1 व 2 की खातेदारी भूमि है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 177 के दक्षिण में खसरा नम्बर 176 रकबा 1.41 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि अनावेदक नम्बर 3 व 4 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि में दक्षिण सीमा से होती हुए एक सडक निकलती है जो पूर्व दिशा में मझाउ जाती है तथा पश्चिम दिशा में नेहरा की द्वाणी जाती है। खसरा नं. 438/84 के खातेदार अनावेदक संख्या 12 लगायत 15 हैं। उक्त सडक से लगता हुए एक रास्ता जो खसरा नम्बर 176 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 8 फीट चौडा रास्ता है। जिसका खसरा नम्बर 490/176 रकबा 0.05 हैक्टर है। जिसका रिकार्ड अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। जिसको आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते के आगे उत्तर में खसरा नम्बर 177 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे पगडण्डी है जो करीब 4 फीट चौडी है। जिसको आवेदक करीब 20 वर्षों से उपयोग लेता आत्ता आ रहा है। जिसको नजरी नक्शे में क, ख, ग, बिन्दुओं से दर्शाया गया है। क से ख खसरा नम्बर 490/176 दर्शाया गया है तथा ख से ग. 4 फीट चौडी पगडण्डी दर्शायी गयी है। आवेदक ने खसरा नम्बर 177 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 4 फीट चौड़ी पगडण्डी को चौड़ी कर तथा खसरा नम्बर 496/176 रास्ते को 8 फीट से 12 फीट करने का निवेदन कई बार अनावेदक 1 व 4 से किया तो अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 हर बार कोई न कोई बहाना कर टालते रहे। आवेदक द्वारा अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 से आखरी बार दिनांक 18.09.2019 को नजरी नक्शे में दर्शित क, ख रास्ते को 12 फीट चौडा करने व ख ग फीट से 12 फीट चौडा करने का निवेदन किया तो ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 ने धमकी दी कि मजरी नक्शे में दर्शित क फीट चौड़े रास्ते व ख, ग 4 फीट चौडी पगडण्डी में से आवेदक को आने जाने नहीं देगे। आवेदक ने प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 से नजरी नक्शे में दर्शित क. व रास्ते को 8 फीट से 12 फीट चौडा करने व ख, ग पगडण्डी को 12 फीट चौकी करने पर तथा उसे राजकीय रास्ता करवाने के लिये उक्त रासते के बदले डी०एल०सी० रेट से दूगना भुगतान करने अर्थात नियमानुसार भुगतान को तैयार है। आवेदक को उक्त नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते क, ख, ग, की नितान्त आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा, आवेदक के ओर कोई रास्ता नहीं लगता है। उक्त रास्ते से ही आवेदक काश्त फसल को लाट बाट कर, मंडी ले जाता है तथा हर छोटे बड़े काम में उपरोक्त रास्ते को उपयोग लेते आ रहे है। अनावेदक नम्बर 5 लगायत 8. आवेदकगण के भाई व माता व बहिन है। उपरोक्त भूमि मौखिक बंटवारे में आवेदक के हिस्से में आयी हुई है लेकिन रिकार्ड में सह खातेदार होने के कारण, प्रार्थना–पत्र में फोरमल अनावेदक बनाया गया है ताकि प्रार्थना–पत्र में कोई नुक्स नहीं रहे तथा अनावेदक नम्बर 9 व 10 से अनावेदकगण ने ऋण ले रखा है। इसलिए प्रार्थना–पत्र में फोरमल पक्षकार बनाया गया है ताकि प्रार्थना–पत्र में कोई नुक्स नहीं रहे ।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। अनावेदक संख्या 5, 6, 8, 9, 10 की ओर से बावजूद तामील असालतन/वकालतन कोई भी उपस्थित नहीं आया, जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

आवेदक संख्या 1 लगायत 4 की ओर से एडवोकेट हरलाल सैनी ने वकालतनाम व जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। रास्ते की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट पर अनावेदकगण ने ऐतराज प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। दिनांक 06.09.2021 को न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतिम रूप से स्वीकार कर आदेश पारित किया गया, आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 06.09.2021 को अपास्त कर उभय पक्षकारान की मौजूदगी में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाकर आदेश पारित करने का निर्णय पारित कर पत्रावली पुनः प्रतिप्रेषित कर दी। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदक की ओर से एडवोकेट सुनिल कुमार ने वकालतनाम पेश किया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 तथा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के पेश किये गये, जिन्हे न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाकर पुनः तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/802 दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट भिजवाई गई। वकील अप्रार्थीगण ने रिपोर्ट पर पुनः आपति पेश की जिस पर बहस सुनी जाकर न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न समस्त दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काश्तकार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा काश्तकारों/आवेदकगणों को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक अंतर्गत धारा 251 ए डी. एल. सी. दर का दो गुना भुगतान की शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: आदेश :—

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2024/802 दिनांक 16.08.2024 के मुताबिक 4 मीटर (12 फिट) रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न हिस्सा रहेगी। अनावेदक गण को आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता भूमि बाबत निर्धारित डी. एल. सी. दर से दोगुनी राशि प्रस्तावित खसरा नम्बरान के खातेदारों को भुगतान करने पर या भुगतान लेने से मना करने पर राशि राजकोष में जमा करवाने पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/25 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

30/01/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)